न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 40/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
प्रकाश पुत्र मोतीराम जाति तेली निवासी तेलीवाडा, नागौर।		1सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर। 2पटवारी हल्का गोगेलाव तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांक:22.07.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 2/2019 सरकार बनाम प्रकाश में निर्णय दिनांक 02.04.19 के तहत मौजा गोगेलाव के खसरा नं. 296 रकबा 0.15 बीघा गै.मु. बारानी–2 भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.04.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.06.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 2/19 सरकार बनाम प्रकाश मे निर्णय दिनांक 2.4.19 की फोटोप्रति तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के प्रकरण सं. 15/02 छोटमल बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 13.08.03 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.4.19 पूर्णतया अवैध विधिविरूद्व एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली का अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी गोगेलाव द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट के संदर्भ मे हल्का पटवारी के बयान तक नही लिये। केवल मात्र टीपी रिपोर्ट को ही आधार मानकर बिना किसी प्रकार की जांच किये आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–विवादित भूमि के संबंध मे अकेले अपीलांट का कब्जा काश्त नही है बल्कि अपीलांट के भाई छोटमल, माणक, नेनाराम का भी संयुक्त रूप से कब्जा है। विवादित भूमि की किस्म जमीन बारानी दोयम है। जिस पर संवत 2031 मे अपीलांट के पिता का कब्जा होना हल्का पटवारी ने दर्शाया है। इस प्रकार विवादित भूमि पर किसी प्रकार से नया अतिक्रमण नही है। किन्तु फिर भी तहसीलदार ने बिना किसी प्रकार की जांच किये आदेश जैर अपील पारित कर कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(VI)–विवादित भूमि के संबंध मे पूर्व मे एक अपील राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष अपील सं. 15/02 पेश की गई थी। जिसका निर्णय दिनांक 13.8.03 को अपीलांट के हक मे किया गया

अपर कलक्टर, नागौर

तथा तहसीलदार को प्रकरण नियमन आंवटन कमेटी के समक्ष पेश करने बाबत निर्देश दिये गये किन्तु तहसीलदार ने राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश की बिना किसी प्रकार की पालना किये अब 16 वर्षो पश्चात नये सिरे से पुनः नया अतिक्रमण बताकर अवैध व विधि विरूद्व ढंग से आदेश जैर अपील पारित कर दिया जबकि विधिक प्रावधानो के अनुसार जब सक्षम न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध मे निर्णय पारित किया जा चुका है तो नये सिरे से पुनः कार्यवाही नही की जा सकती। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा गोगेलाव में स्थित गै.मु. बारानी–2 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके गोगेलाव के खसरा नंबर 296 रकबा 0.15 बीघा गै.मु. बारानी–2 भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। जहां तक अपील सं. 15/2002 छोटमल बनाम राज. सरकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर का निर्णय दिनांक 13.08.2003 के तहत प्रकरण रिमाण्ड किये जाने निर्देशो का प्रश्न है। उक्त आदेश सलाहकार समिति एसडीओ नागौर के प्रकरण सं. 86/2002 मे निर्णय दिनांक 11.06.02 के विरूद्व प्रस्तुत की गई जो भूमि के आवंटन / नियमन से संबंधित सिफारिश को अस्वीकार किये जाने को लेकर है, प्रकरण विशेष मे नियमन / आवंटन की कार्यवाही, प्रशासनिक कार्यवाही है। जिसकी रूह मे धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही को नही रोका जा सकता है। उक्त आदेश दिनांक 13.08.2003 के संबंध मे वर्तमान मे प्रकरण किस स्टेज पर विचाराधीन है। ऐसा भी कोई दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नही किये गये है। मात्र अपील मे यह कथन कर दिये जाने की तहसीलदार द्वारा गत 16 वर्षो मे कोई पालना नही की हो, पर विश्वास नही किया जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर